न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या :— 136 / 2024

प्रार्थी

1 भगवानसिंह पुत्र शिवलालसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चण्डावल, तहसील सोजत, जिला— पाली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ललिता पत्नी प्रतापसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चण्डावल तह0 सोजत, जिला— पाली।
2. सरोज पत्नी विजयसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चण्डावल तह0 सोजत, जिला— पाली।
3. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः—

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

1. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 01 व 02 उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :—20/08/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल, तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 1480 / 2758 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1487 / 1 रकबा 0.7300 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर की आई हुई स्थित है। प्रार्थी की कृषि भूमि के उत्तर दिशा में चिपते ही खसरा संख्या 1487 रकबा 0.7300 हैक्टर, खसरा नम्बर 1480 / 2594 रकबा 0.1200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ललिता एवं अप्रार्थी संख्या 2 सरोज के नाम से खातेदारी सुदा कृषि भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1613 रकया 9.6760 हैक्टर गैर मुमकिन सड़क की आई हुई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पति ने नाजायज गिरोह बना रखा है। प्रार्थी के खेत के उत्तर दिशा में तारबन्दी कर रखी थी जो उक्त अप्रार्थीगण ने अपने पति व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर साजिश पूर्वक तारबन्दी को तोड़ कर उखाड़ फेका है, प्रार्थी द्वारा बार बार निवेदन किया गया कि मुझे मेरी भूमी का सीमांकन व पत्थर गढी करवानी है पटवारी हल्का या रेवेन्यू टीम से नाप चौक करवाकर मुझे मेरी भूमी पर फसल की रखवाली करनी है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 किसी भी तरह से मौके पर नाप चौक करवाने हेतु तैयार नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी की इन्च मात्र भूमि की आवश्यकता नहीं है न ही प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है, उल्टा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने अपने पति व अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहते हैं तथा आये दिन पुलिस कचहरी का डर दिखाकर धमकाते हैं तथा जान से मारने की धमकीयों भी अप्रार्थीगण के पति प्रतापसिंह व विजयसिंह द्वारा दी जा रही हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के खेत की उत्तरी दिशा में की गई तारबन्दी को उखाड़ कर हटा दिया, प्रार्थी की उत्तरी दिशा की माठ आज भी खुली पड़ी है जिसकी वजह से आए दिन मवेशी गाय, भैस वगैरा प्रार्थी के खेत में घुस जाते है तथा प्रार्थी के द्वारा बोई हुई फसलो को नुकसान पहुंचाते है। प्रार्थी अपनी फसल बचाने हेतु अपनी कृषि भूमि की नाप चौक कर पुनः तारबंदी / माठ / दीवार बनाना चाहता है,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

...ए प्रार्थी के खेत, एवं अप्रार्थी के खेत एवं गैर मुमकीन रास्ते की सीमा को कायम ...ना आवश्यक है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रा0 पत्र पेश कर भारी पुलिस इमदाद के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1480/2758 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1487/1 रकबा 0.7300 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर का सीमाज्ञान, पत्थर गढी रेवेन्यू टीम मय तहसीलदार, आर० आई० व पटवारीगण से करवाया जावे अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो माठो को कायम किया जाकर नेकम कायम किया जावे तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो और तारबंदी पत्थर गढ़ी, सिमेन्ट के पिलर/दीवार लगाए जाने का आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे ने वकालतनामा पेश किया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट मंगवाये जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/834 दिनांक 16.06.2025 के जरिये निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि में स्वामित्व व सीमाओ सम्बन्धी विवाद हैं। उक्त भूमि का पूर्व में कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया गया हैं। भू–राजस्व संबंधी कोई राशि बकाया नहीं हैं। आवेदन स्वयं एकल खातेदार हैं। न्यायालय में कोई स्थगन उक्त आराजी पर नहीं हैं। मौके पर वर्णित खसरे में पक्का निर्माण है। रहवासी मकान एवं टीन शेड लगे हुए हैं। मौके पर फसल खड़ी है, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस प्रार्थना पत्र वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि भारी पुलिस ईमदाद के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1480/2758 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1487/1 रकबा 0.7300 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर का सीमाज्ञान, पत्थर गढी रेवेन्यू टीम मय तहसीलदार, आर० आई० व पटवारीगण से करवाया जावे अर्थात प्रार्थी की कृषि भूमि की चारो माठो को कायम किया जाकर नेकम कायम किया जावे तथा प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि के चारो और तारबंदी पत्थर गढ़ी, सिमेन्ट के पिलर/दीवार लगाए जाने का आदेश किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जबाब बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा झूठे व मनगढ़त तथ्यों के आधार पर यह प्रा0पत्र पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि की सीमाओं के मध्य कोई विवाद नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रा0पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थी बदनियतीपूर्वक अप्रार्थीगण की कृषि भूमि को हड़पना चाहता हैं। जो कतई न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थी का प्रा0पत्र सव्यय खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पर गौर कर मनन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत वादग्रस्त कृषि भूमि से संबंधी वस्तुस्थिति रिपोर्ट के अनुसार मौके पर सीमाओं को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। लिहाजा सरहद मौजा ग्राम चण्डावल, तहसील सोजत में प्रार्थी की खातेदारी हक हकूक एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 1480/2758 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1487/1 रकबा 0.7300 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

ये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम चण्डावल, तहसील सोजत में खसरा नम्बर 1480/2758 रकबा 0.1200 हैक्टर, खसरा नम्बर 1487/1 रकबा 0.7300 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी अधिकार एवं कब्जा की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी • सोजत, जिला-पाली (राज.) •

निर्णय आज दिनांक 20/08/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत